

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2012

मद क्रमांक 1

सचिवालय (भारित) हेतु एक नये वाहन क्रय हेतु ` 6.00 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः उक्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ` 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 2

मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान हेतु ` 290.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 2,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 3

सचिवालय अंतर्गत परिवहन व्यय हेतु ` 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

राष्ट्रीय पर्व आयोजन हेतु अनुदान अंतर्गत मेला, उत्सव, प्रदर्शनी हेतु ` 28.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 28,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 5

प्रशासन अकादमी के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु ` 25.00 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः उक्त स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ` 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 6

नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न कार्यालयों को एक स्थान पर संचालित करने हेतु स्थल क्रय हेतु आकस्मिकता निधि से ` 5,84,71,774 का अग्रिम स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त ` 5,57,71,065 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित कुल ` 11,42,42,839 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4216

मद क्रमांक 7

छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु आकस्मिकता निधि से ` 4,52,00,152 का अग्रिम स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त ` 90,10,380 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित कुल ` 5,42,10,532 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।